बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी । उक्त के आलोक में राज्य में विभिन्न केन्द्रों को कुशल युवा प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। सुजाता कुमारी एवं साक्षी कुमारी से कुशल युवा केन्द्र KYP Code09040021 एवं KYP Code09040016 के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में मामले का जॉच करायी गयी। जॉचोपरान्त पाया गया कि कुशल युवा केन्द्र KYP Code09040021 एवं KYP Code09040016 का संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। जॉच में केन्द्र पर कई अनियमितता यथा केन्द्र का संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के नियामानुसार नहीं किया जाना, Finger print, Impersonation आदि परिलक्षित हुई। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–395 दिनांक–27.04.2020 के द्वारा KYP Code09040021 से एवं पत्र संख्या–394 दिनांक–27.04.2020 के द्वारा के KYP Code09040016 से संबंधित मामले में स्पष्टीकरण पूछा गया था ।

उक्त के आलोक में कुशल युवा केन्द्र KYP Code09040021 एवं KYP Code09040016 के द्वारा आना जवाब बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध कराया गया। संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के जवाब को सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है ।

अतः समीक्षो उपरान्त कुशल युवा केन्द्र KYP Code09040021 एवं KYP Code09040016 के माह अक्टूबर, 2019 बैच के Final Invoice से 20% के राशि की कटौती करते हुए दोनों केन्द्रों के अस्थायी नामांकन रोक को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है । मिशन प्रबंधक, वित्त एवं लेखा को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त केन्द्रों के अक्टूबर, 2019 बैच के Final Invoice से 20% की राशि की कटौती करना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/–
(रंजिता,भा0प्र0से0)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

विविध-04/2017 457
ज्ञापांक–BSDM/~~SDM–70/2019~~– पटना,दिनांक– 27/05/2020

प्रतिलिपि–
(1) सभी संबंधित एजेंसी/केन्द्र संचालकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
(2) मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
(3) Project Director, MKCL/Project Director,E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
(4) मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/ मिशन प्रबंधक(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
(5) सभी जिला कौशल प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.05.2020
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

Scanned with CamScanner